न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2024/147

मुकदमा नम्बर 50/2024 दर्ज दिनांक– 15.04.2024

जीताराम उर्फ रणजीत पुत्र रामेदवाराम, जाति जाट निवासी भरवाडी तहसील नवलगढ जिला झुंझुंनू
–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
–अनावेदक

वकील आवेदक : – विप्लव पण्डित

वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 15.05.2024**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम भरवाडी पटवार हल्का टोक छिलरी की सरहद मे भूमि खाता सं. नया 149 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 388,389,390, रकबा क्रमशः 0.03, 1.41, 1.52 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.96 है0 तथा राजस्व ग्राम चारण की ढाणी पटवार हल्का पुजार की ढाणी की सरहद में नई खाता सं. 21 की भूमि खसरा नं. 133, 134, 137,161 रकबा क्रमशः 0.50, 0.80, 0.03, 1.64 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.97 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रणजीत की बजाय जीताराम दुरूस्त करे।

अनावेदक तहसीलदार नवलगढ़ की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट क्रमांक 1448 दिनांक 13/05/2024 पेश हुई। जिसके अनुसार प्रार्थी का सही नाम जीताराम दुरूस्त किया जाना उचित है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। तहसीलदार नवलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है तथा ग्राम ग्राम भरवाडी पटवार हल्का टोक छिलरी की सरहद मे भूमि खाता सं. नया 149 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 388,389,390, रकबा क्रमशः 0.03, 1.41, 1.52 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.96 है0 तथा राजस्व ग्राम चारण की ढाणी पटवार हल्का पुजार की ढाणी की सरहद में नई खाता सं. 21 की भूमि खसरा नं. 133, 134, 137,161 रकबा क्रमशः 0.50, 0.80, 0.03, 1.64 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.97 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रणजीत की बजाय जीताराम दुरूस्त किये जाने के आदेश किये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 15.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

Scanned with CamScanner